लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit
12-8-92
Forwarded
On 15-2-89
Parliament Library

[खंड 10 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. X Contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—24, बुधवार, 15 दिसम्बर, 1971/24 अग्रहायण, 1893 (शक)
No.—24, Wednesday, December 15, 1971/Agrahayana 24, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1—3
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	3—4
अनुसुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	4
अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन	Report of Study Tour	4
तमिलनाडु सरकार द्वारा "नवशक्ति" के सम्पादक की गिरफ्तारी के बारे में	Re Arrest of Editor of 'Navashakti' by Tamil Nadu Government	4
अमरीका के सातवें बेड़े की गतिविधि के बारे में	Re Movement of Seventh Fleet of USA	5
पुरः स्थापित विधेयक	Bills Introduced	5
(एक) कम्पनी (आय-कर पर अधिभार) विधेयक	(i) Companies (Surcharge on Income-tax) Bill	6
(दो) वैयक्तिक क्षति (आपात उपबंध) संशोधन विधेयक	(ii) Personal Injuries (Emergency Provisions) Amendment Bill	
(तीन) वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन विधेयक	(iii) Personal Injuries (Compensation Insurance) Amendment Bill	6—7
(चार) भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक	(iv) Indian Tariff Amendment Bill	7
पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) विधेयक	North Eastern Areas (Recognition) Bill	7—24
विचार करने का स्ताव	Motion to Consider	7
श्री वीरेन दत्त	Shri Biren Dutta	7—8
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	9
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा	Shrimati Jyotsna Chanda	9—10

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	10
श्री पाओकाई हाओकिप	Shri Paokai Haokip	10-11
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan	11—12
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari	12
श्रा दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	12—13
श्री जी० पी० यादव	Shri G. P. Yadav	13
श्री इराज्मु द सैकैरा	Shri Erosome De Sequeira	13—14
श्री सोमचन्द सौलंकी	Shri Somchand Solanki	14
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	14
श्री एस० नी० गिरि	Shri S. B. Giri	14
डा० कैलाश	Dr. Kailas	14—15
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Craon	15
श्री कृष्ण चंद्र पंत	Shri K. C. Pant	15—23
खंड 2 से 88 और 1	Clauses 2 to 88 and 1	16
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass as Amended	16
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb	24
श्री कृष्ण चंद्र पंत	Shri K. C. Pant	24
नौसैनिक और वायुयान प्राइज विधेयक	Naval and Aircraft Prize Bill	24—28
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	24
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	24—25
श्री सोम नाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	25—26
श्री इन्द्र जीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	26
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder	26—27
श्री आर० बी० वड़े	Shri R. V. Bade	27
खंड 2 से 20 और 1	Clauses 2 to 20 and 1	28
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	28—29
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक	Industrial (Development and Regulation) Amendment Bill	29
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	29
श्री मोइनुल हक चौधरी	Shri Moinul Haque Choudhury	29

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 15 दिसम्बर, 1971/24 अग्रहायण, 1893 (शक)
Wednesday, December 15, 1971/Agrahayana 24, 1893 (Saka)

लोक-सभा दस बजे समवेत हुई।
The Lok-Sabha met at Ten of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker ***in the Chair***]

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं श्री उमा शंकर दीक्षित की ओर से अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—1280/71]।

मैसूर मोटरगाड़ी नियम, 1971

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं मैसूर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मैसूर मोटर गाड़ी (छठा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो मैसूर राजपत्र दिनांक 22 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 226 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी०—1281/71]।

भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1971

संचार मन्त्री (श्री एच० एन० बहुगुणा) : मैं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय टेलीग्राफ़ (सोलहवां संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 नवम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1679 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—1282/71]।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय बीज निगम की एक प्रति और केन्द्रीय सरकार के वित्त लेखे

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1969-70 के प्रतिवेदन—केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक) भाग 6—राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड—की एक प्रति।

(2) केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1967-68 के वित्त लेखे (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1283/71]।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के कार्य की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण)।

(2) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1284/71]।

मैसूर अग्निशामक बल नियम तथा मैसूर राज्य पुलिस सेवा नियम

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : श्री कृष्ण चन्द्र पंत की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) मैसूर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 के उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित, मैसूर अग्निशामक बल अधिनियम 1964 की धारा 39 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, मैसूर सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मैसर अग्निशामक बल विनियम, 1971, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 12 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 245 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) मैसूर अग्निशामक बल नियम, 1971, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 260 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—1285/71]।

(2) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खंड (ग, (चार) के साथ पठित, मैसूर पुलिस अधिनियम, 1963 की धारा 163 की उपधारा (4) के अंतर्गत मैसूर सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) मैसूर राज्य पुलिस सेवा (भर्ती) (पहला संशोधन) नियम, 1971, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 27 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 153 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) मैसूर राज्य पुलिस सेवा (भर्ती) (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 3 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 161 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल० टी०—1286/71]।

तराई विकास निगम

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं तराई विकास निगम के बारे में श्री जितेन्द्र प्रसाद के अतारांकित प्रश्न संख्या 4240 के 8 जुलाई, 1971 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिये तथा उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—1287/71]।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे, राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) कि राज्य सभा ने 14 दिसम्बर, 1971 को अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें लोक सभा से सिफारिश की गयी है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1970 सम्बंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति से श्री केदार नाथ सिंह द्वारा संयुक्त त्याग-पत्र दिये जाने के कारण संयुक्त समिति में रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा के एक सदस्य को नियुक्त करे।

(दो) कि राज्य सभा 13 दिसम्बर, 1971 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 4 दिसम्बर, 1971 को पास किये गये जयन्ती शिपिंग कम्पनी (शेयरों का अर्जन) विधेयक 1971 से बिना संशोधन के सहमत हुई है।

(तीन) कि राज्य सभा 2 दिसम्बर, 1971 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 24 नवम्बर, 1971 को पास किये गये अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1971 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(चार) कि राज्य सभा 14 दिसम्बर, 1971 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 9 दिसम्बर, 1971 को पास किये गये मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषदें, विधेयक, 1971 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(पांच) कि राज्य सभा 14 दिसम्बर, 1971 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 10 दिसम्बर, 1871 को पास किये गये एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, 1971 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(छः) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 9 दिसम्बर, 1971 को पास किये गये विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 1971 के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अध्ययन दल-3 के सितम्बर, 1971 के मद्रास, आंध्र प्रदेश तथा कलकत्ता के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं।

तमिलनाडु सरकार द्वारा "नवशक्ति" के सम्पादक की गिरफ्तारी के बारे में

RE: ARREST OF EDITOR OF "NAVASAKTI" BY TAMIL NADU GOVERNMENT

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मैं इस सभा तथा सरकार का ध्यान एक नेता एव दैनिक "नवशक्ति" के सम्पादक को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में तमिलनाडु सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री के० मनोहरन (मद्रास-उत्तर) : इस सम्पादक के विरुद्ध भारत रक्षा नियमों के अधीन मामला दर्ज किया गया है और यह मामला अभी न्यायालय में है। अतः क्या हम इस पर यहां विचार कर सकते हैं?

श्री श्याम नन्दन मिश्र : प्रश्न यह है कि सभा को मालूम हो कि सम्पादक को किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया है। उक्त सम्पादक को तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के अमरीकी-समर्थक रवैये की आलोचना करने का पूरा अधिकार था मगर उन्हें भारत रक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया है। मेरा कहना है कि इस संबन्ध में अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है। क्या उक्त सम्पादक से तमिलनाडु सरकार यह आशा करती है कि वह अमरीकी नीति की प्रशंसा करे? उक्त सम्पादक को बिना जांच जेल में रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला अभी अदालत में निर्णयाधीन है इसलिये बेहतर है कि हम लोग इस सम्बन्ध में चुप रहें।

अमरीका के सातवें बेड़े की गतिविधि के बारे में

RE: MOVEMENT OF SEVENTH FLEET OF U.S.A.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Everyday the Opposition have been demanding that the House should be taken into confidence in regard to international policy particularly in connection with various political and non-political tactics adopted by th U.S.A. and China to help our enemy. But I am sorry to point out that the Gvoernment are not coming forward with any statement. They are not giving an opportunity to this House to discuss Government's attitude in this behalf. It is published in the newspaper that our Prime Minister has received a letter from US President Nixon. What are the contents of that letter? Is any threat has been given in it?

I think the time has come when the Government should take this House into confidence and give a statement in regard to the policies of the USA and China and we should have an opportunity to discuss it, if necessary.

प्रो० मधु दन्डवते (राजापुर) : मैं भी यही बात कहना चाहता हूं, परन्तु साथ ही सातवें बेड़े तथा चीनी प्रचार की खबरें भी आ रही हैं। इस दृष्टि से संसद को मालूम होना चाहिए कि सरकार के मस्तिष्क में क्या है और यदि आवश्यक हो तो हम भी अपने विचार इस संदर्भ में दे सकें ताकि सरकार को दृढ़ कार्यवाही के लिए मजबूती मिले और राष्ट्रपति निक्सन को यह महसूस हो जाये कि उनकी धमकियों से उनके ही साम्राजवादी उद्देश्यों का अन्त होगा। सरकार यह बात पूरी तरह स्पष्ट कर दे।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : यह तीसरा अवसर है जबकि यह मांग की गई परन्तु सरकार कोई उत्तर नहीं दे रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : परसों भी जब हमने यह प्रश्न उठाया तो कहा गया कि प्रधान मंत्री विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करेंगी, परन्तु तीन दिन हो गये, कुछ नहीं हुआ हालांकि सातवां बेड़ा पूरी गति से हमारे देश की ओर बढ़ रहा है तो भी सरकार हमें इस बारे में पूरी तरह अनभिज्ञ रखे हुए है। सरकार हमें इस बेड़ के खतरे के बारे में बताये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : विपक्षी नेताओं के साथ इस प्रकार की बैठक से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिनके आधार पर हम सरकार को कोई सलाह दे सकें।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : अमरीका के सातवें बेड़े के बारे में हमें या देश के किसी व्यक्ति को न तो कुछ भय होना चाहिये और न ही इसे अनावश्यक महत्व दिया जाना चाहिये।

जहां तक विपक्षी नेताओं के साथ बैठक का संबंध है, मैं सदन के नेता को माननीय सदस्यों के उक्त विचार बताऊंगा। सभा को विश्वास में लेने के लिये सरकार उचित समय पर सारी जानकारी देगी।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को चाहिये कि वह सभा को बतायें कि क्या कुछ हो रहा है।

श्री राज बहादुर : यह बड़ी ही नाजुक स्थिति है।

कम्पनी (आयकर पर अधिभार) विधेयक

COMPANIES (SURCHARGE ON INCOME TAX) BILL

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान कम्पनियों द्वारा अग्रिम देय आय-कर पर अधिभार के उद्ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान कम्पनियों द्वारा अग्रिम देय आय-कर पर अधिभार के उद्ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

वैयक्तिक क्षति (आपात उपबन्ध) संशोधन विधेयक

PERSONAL INJURIES (EMERGENCY PROVISION) AMENDMENT BILL

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वैयक्तिक क्षति (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1962 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वैयक्तिक क्षति (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1952 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमनि दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन विधेयक

PERSONAL INJURIES (COMPENSATION INSURANCE) AMENDMENT BILL

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1963 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1963 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने ही अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक

INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री एल० एन० मिश्र : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि रक्षा मंत्री को नौसैनिक विमान, आपात स्थिति तथा युद्ध के संबंध में एक विधेयक को आज साढ़े ग्यारह बजे पुरःस्थापित और पारित कराने की अनुमति दी जाये। नियमों का निलम्बन भी 11-30 बजे कर दिया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विधेयक को हमारे अध्ययन के लिए परिचालित किया जा सकता था।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति दे चुका हूं। यह विधेयक परिचालित भी किया जा चुका है और हर प्रक्रिया ठीक है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) विधेयक

NORTH EASTERN AREAS (REORGANISATION) BILL

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मनीपुर और त्रिपुरा के लोग एक लम्बे समय से मनीपुर और त्रिपुरा के लिये पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने हेतु संघर्ष करते रहे हैं। पहले चुनावों में लोगों ने इस मांग के लिये संघर्ष किया परन्तु सरकार ने

उनकी मांग को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। उल्टे वहां के लोगों की मांग के विरुद्ध वहां हारे हुए कांग्रेसियों को लेकर सलाहकार परिषदें बना दीं। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बना मगर उसने भी भारतीय संघ में 'ए', बी तथा 'सी' वर्ग के राज्य बनाने की सिफारिश की, परन्तु दुर्भाग्य से इसने भी त्रिपुरा और मनीपुर को असम राज्य में मिलाने की सिफारिश की। इस निर्णय के विरुद्ध फिर से जन आन्दोलन हुआ। सरकार ने क्षेत्रीय परिषदें बनाईं परन्तु फिर भी वह वहां के लोगों की पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को न रोक सकी। लोगों ने फिर सार्वजनिक आन्दोलन किया। वर्ष 1962 में सरकार ने एक अधिनियम बनाकर फिर इन क्षेत्रों को केन्द्र के अधीन कर लिये। परन्तु सार्वजनिक आन्दोलन फिर चला और हजारों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। असंख्य लोगों ने त्रिपुरा में प्रवेश किया। अब यह विधेयक आया है तो मैं इसका समर्थन करता हूं।

इसके साथ ही मुझे खेद है कि सरकार ने गोआ को पूरे राज्य का दर्जा देने के लिये कोई विधेयक पास नहीं किया।

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : यह विधेयक पूर्वोत्तर क्षेत्रों के बारे में है और गोआ पूर्वोत्तर में नहीं है।

श्री बीरेन दत्त : आप को एक और विधेयक गोआ के लिये पेश करना चाहिये था। गोआ-वासी भी पूरे राज्य के दर्जे के अधिकारी हैं।

यह विधेयक प्रस्तुत करते समय मंत्री महोदय ने कहा था कि त्रिपुरा में बड़ी संख्या में आदिवासी हैं। अतः मैं चाहता हूं कि वहां आदिवासी परिषदें गठित की जायें। हाल ही में गठित की गई जिला परिषदों से वहां अनेक कठिनाईयां उत्पन्न हो गई हैं। त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्रों का सीमांकन इस प्रकार है कि वहां बड़ी आसानी से आदिवासी परिषदें बनाई जा सकती हैं।

विधेयक में पूर्वोत्तर परिषद के गठन की व्यवस्था है, जिसे कि एक सलाहकार निकाय बताया गया है। परन्तु खण्ड 4, 5 तथा 6 के अंतर्गत इसकी शक्तियां एक सलाहकार परिषद से अधिक हैं जिस कारण वहां केन्द्र का प्रभुत्व बना रहता है। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस परिषद का गठन न करे। वहां वर्तमान जोनल परिषद प्रणाली को जारी रखा जाना चाहिये।

मंत्री महोदय को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिये और संभव हो तो सम्बन्धित खंड में संशोधन करना चाहिये ताकि आसाम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश त्रिपुरा, मनीपुर, मिजोरम और अरुणाचल में न्यायालय स्थापित कर सके।

सेवाओं के सम्बन्ध में जो विषमता त्रिपुरा के भारतीय संघ के साथ समन्वय के समय हुई थी वह फिर नहीं होनी चाहिये। उस समय सभी टी०सी०एस० अधिकारियों को भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों के रूप में ले लिया गया था—बाद में इसकी जांच कराई गई। अतः जब नया राज्य बने तो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि ऐसी विषमता फिर न हो।

त्रिपुरा में गोलाबारी और सैनिक गतिविधियों के कारण काफी क्षति हुई है, अतः इस विधेयक में जितनी राशि की व्यवस्था की गई है उस से अधिक राशि की नये राज्य के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मनीपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं क्योंकि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विधान है और इस विधेयक के द्वारा समूचे पूर्वी क्षेत्र में, जिसका नाम अरुणांचल रखा जायेगा एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा।

भारत सरकार और हमारे नेताओं ने पहली बार उत्तरी क्षेत्र की समस्याओं की व्यापक रूप से जांच की है। अब तक पूर्वी क्षेत्र के लिए जो कुछ किया जाता था उस से वहाँ के लोगों में असंतोष रहता था परन्तु इस विधेयक के द्वारा भारत सरकार उनकी समस्याओं को समझ सकी है और राजधानी से वहां तक जो दूरी है उस दूरी के भय को दूर किया गया है। अब देश के पूर्ण विकास में वहां लोग भाग लेने के सम्बन्ध में संतुष्ट हैं। गृह मंत्रालय और प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इन सभी क्षेत्रों को संतुष्ट किया है।

इस कार्य के लये थोडा और समय दिया जाना चाहिये था। परन्तु जिन परिस्थिति में यह विधेयक शीघ्रता से पारित किया जा रहा है मैं उन्हें समझता हूं। मनीपुर के लोग अक्तूबर, 1947 से ही इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने के लिये संघर्ष करते रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य से पहले मनीपुर एक सर्वसत्ता सम्पन्न राज्य था। राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिये इस लम्बे संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि से यह सभा भली भाँति परिचित है। परन्तु हमें प्रसन्नता है कि हम महान राष्ट्र के ही अंग हैं। हम राष्ट्रीय जीवन के हर पहलू में शाश्वत रूप से भागीदार बने रहना चाहते हैं। इस विधान से लोगों को राष्ट्रीय एकता के लिये कार्य करने की अधिकाधिक प्रेरणा मिलेगी।

इस विधेयक के दो पहलुओं पर मैं बोलना चाहता हूं। मनीपुर और त्रिपुरा के लिये संयुक्त सेवा संवर्ग और संयुक्त राज्य पाल की व्यवस्था है। इस पर गृह मंत्रालय को, अभी नहीं तो बाद में, पुनर्विचार करना चाहिये। इस व्यवथा को प्रयोग के रूप में रखा जाये। इस समय हम इस का विरोध नहीं करते हैं।

एक बात जो नये राज्य के गठन में बाधा डालती थी वह थी आर्थिक आत्म-निर्भरता। मनीपुर में घना जंगल, खनिज पदार्थों के संसाधन आदि हैं परन्तु वहां उचित सर्वेक्षण नहीं कराया गया। यदि सर्वेक्षण किया गया और तुरन्त कार्यवाही द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही की गई तो मनीपुर न केवल आत्म-निर्भर ही होगा अपितु, शेष देश के लिये वरदान सिद्ध होगा। इस क्षेत्र का औद्योगीकरण किया जाना चाहिये और सिंचाई सुविधायें तथा भूगर्भीय सर्वेक्षण बढ़ाये जाने चाहियें और जितने भी आर्थिक संसाधन हैं, उन सब का उपयोग किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं और इन क्षेत्रों के लोगों को अपने कल्याण और उत्थान का अवसर प्रदान करने के लिये सरकार को बधाई देती हूं। मिजो जिले की जनसंख्या 2.30 लाख है जिसमें मिजो, मार, चकमा रिहंग आदि शामिल हैं जिनमें से एक जाति दूसरी जाती से बिल्कुल भिन्न है। मिजो बहुसंख्यक हैं, परन्तु अल्पसंख्यक जातियों को अपनी शिक्षा अथवा संस्कृति का विकास करने का अवसर नहीं मिलता है। परन्तु इस पहलू पर विधेयक में आधोपान्त ध्यान नहीं दिया गया है और उनके हितों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

वहां अल्पसंख्यक समुदाय चकमा और पावी-लाखेर क्रमशः लगभग 31,000 और 30,000 हैं। उन्होंने अपने हितों के लिए जिला परिषदों की स्थापना की मांग करते हुए सरकार को ज्ञापन दिये हैं। मुझे आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी। यदि आवश्यक हुआ, तो भविष्य में विधेयक में संशोधन करेगी।

मिजी लोगों में अकेलेपन की भावना घर किये हुए है और अंग्रेजों के शासन काल से उन्होंने एक गलत धारणा बना ली है कि वे भारतीय नहीं हैं और आज स्वतन्त्रता के 25 वर्षों में भी यह गलत धारणा बढ़ी ही है। सरकार को उनकी स्थिति पर भी विचार करना चाहिये और उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करने चाहियें ताकि उनमें भारतीय होने की भावना जाग्रत हो। भारत में यह एक मात्र स्थान है जहां प्रवेश परमिट से होता है।

मिजो जिले की आर्थिक स्थिति और कचार से इसका सचार सम्पर्क संतोषजनक नहीं है। उचित रख-रखाव न होने के कारण सिलचर-ऐजल-लुंगलेह सड़क बुरी हालत में है।

सरकार ने कई मिजो विद्रोहियों को तो क्षमा कर दिया परन्तु गत उपद्रव में पकड़े गये लोगों को क्षमादान करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया है। उनके मामलों पर मानसिक आधार, नई व्यवस्था में विचार किया जाना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से त्रिपुरा, मनीपुर और मेघालय को राज्य का दर्जा प्रदान किये जाने और मिजोरम तथा अरुणाचल संघ राज्य क्षेत्रों के गठन का समर्थन करता हूं। कांग्रेस के सदस्यों सहित सभी दलों ने, जिन्होंने आसाम में पूर्वोत्तर संग्राम परिषद् नामक समिति बनाई थी, स्पष्ट कहा है कि परिषद का गठन नागालैंड को स्वीकार्य नहीं है और जिसे नागालैंड के प्रतिनिधियों ने भी यहां स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि नागालैंड सरकार ने इस योजना को रद्द कर दिया है और आसाम सरकार ने इसे राजनैतिक कारणों से अनुमोदित कर दिया है। वास्तव में आसाम सरकार ने आरम्भ में ही परिषद के गठन का विरोध किया था। आसाम के प्रतिनिधियों में इस बारे में असंतोष है और इस दृष्टि से इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

उस क्षेत्र में अंग्रेजों ने उन आदिवासियों के साथ ऐसा व्यवहार किया कि वे यही समझते रहे कि वे भारतीय नहीं हैं परन्तु वहां के वीर लोग अब मानने लगे हैं कि वे भारतीय हैं। वे हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं।

संयुक्त बार काउंसिल और संयुक्त उच्च न्यायालय के लिये विरोध हो रहा है। मुझे आशा है कि आसाम के प्रतिनिधि अपनी आवाज उठायेंगे।

हम चाहते हैं कि नये राज्य फलें-फूलें। केन्द्रीय सरकार, जितनी संभव हो, उनकी सहायता करे। आसाम और उन सभी राज्यों में एकता सम्बन्ध पैदा हों। जहां तक विधेयक के अन्य पहलुओं का सम्बन्ध है, उनपर पुनर्विचार की आवश्यकता है। मंत्री महोदय यह आश्वासन दे कि ऐसी कोई बात नहीं की जायेगी जिससे आसाम के लोग अप्रसन्न हों।

श्री पाओकाई हाओकिप (बाह्य मनीपुर): मैं भारत के पूर्वोत्तर भाग के पुनर्गठन से सम्बन्धित विधेयक का स्वागत करता हूं।

यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है जो उस भाग के निवासियों के विकास से सम्बन्धित है। उस भाग के समूचे विकास के बिना देश का विकास अपूर्ण है।

मनीपुर के लोग एक लम्बे समय से मनीपुर को राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए संघर्षरत रहे हैं और अब उन्हें राज्य का दर्जा मिल जाने से समूचे देश का विकास और उसकी प्रगति होगी।

मनीपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूरे राज्य का दर्जा दिये जाने और मिजोरम तथा अरुणाचल को संघ राज्य क्षेत्र बनाये जाने की मुझे प्रसन्नता है।

मिजो लोग अब तक लड़ते रहे थे और सरकार ने मिजो हिल्स डिस्ट्रिक्ट को संघ राज्य क्षेत्र बना कर बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। इन दोनों पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों का विकास नहीं हो सका है। इस सम्बन्ध में मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि वहां स्थिति सुधारने के लिए केन्द्रीय सरकार को अनुभवी व्यक्तियों को भेजना चाहिए जो वहां के आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा कर सकें अन्यथा यदि ऐसा नहीं किया गया तो अच्छे प्रशासन और अच्छे सम्बन्धों की आशा करना कठिन है।

1967 में भारत सरकार ने नागालैंड सरकार के साथ करार किया था कि मनीपुर के कुछ भाग युद्ध विराम करार के अन्तर्गत होंगे। यह करार मनीपुर के लोगों को परामर्श किये बिना किया गया था दोनों पड़ौसी राज्यों के हितों में मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए तथा इसे शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया जाना चाहिए।

***श्री ई० आर० कृष्णन्** (सलेम) : द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम की ओर से मैं मनीपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को शुभ कामनायें देता हूं।

इस विधेयक के द्वारा उस क्षेत्र के लोगों का स्वप्न साकार होने से सहायता मिलेगी। यह विधेयक हमारे देश में प्रजातंत्र का स्थायी स्मरण-पत्र होगा और निसंदेह हमारे देश में प्रजातंत्र की जड़े मजबूत होंगी।

इस विधेयक के द्वारा उन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए मार्गप्रशस्त होगा। चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया तब सरकार की आंख खुली और तब उसने इन सामाजिक क्षेत्रों में विकास योजनायें बनाना आरम्भ किया। यही पर्याप्त नहीं है कि वहां सेनायें तत्पर रहें। इस बात की भी अपेक्षा की जाती है कि सीमावर्ती सामरिक क्षेत्रों के निवासियों का रहन-सहन का स्तर भी ऊंचा किया जाये। वहां की समस्यायें स्थानीय प्रशासन से और अच्छी तरह सुलझाई जा सकती हैं। मैं राजनीतिक दलों से अनुरोध करता हूँ कि वहां के लोगों के कल्याणार्थ कार्य करे।

त्रिपुरा ने बंगला देश के लाखों शरणार्थियों को शरण देकर जो बड़प्पन दिखाया है उसके लिए केन्द्रीय सरकार ने उसे राज्य का दर्जा प्रदान करके एक प्रकार का उपहार दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मेघालय से आते हैं, हमारी शुभ कामनायें वहां के लोगों तक पहुंचायें।

*तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी समान्तर।

*Summarised translated version of English translation of the speech delivered in Tamil.

अरुणाचल प्रदेश पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि दो दशकों तक इस क्षेत्र की पूर्ण अपेक्षा की जाती रही है ।

गोआ को भी पूरे राज्य का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए ।

वैसे यहां इस बात का उल्लेख करना अनुचित हो सकता है परन्तु राज्य सरकारें स्थानीय समस्याओं को ज्यादा अच्छी तरह समझती है । अतः उनके दैनिक कार्यकरण के लिये उन्हें और अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिएं ।

अध्यक्ष महोदय : अब से बाद किसी भी लिखित भाषण की अनुमति नहीं दी जायेगी । केवल प्रथम वार दिये गये भाषण के लिये ही यह अपवाद हो सकता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मत्रियों सहित ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रियों को अपने वक्तव्य लिखित देने पड़ते हैं ।

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : इस विधेयक के लाने के लिये जिसमें जनजातियों को सरकार में उनका उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है—मैं सरकार को बधाई देता हूं ।

ब्रिटिश शासन काल से पहले आसाम एक बिखरा हुआ प्रदेश नहीं था । यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न कबीलों के सरदारों का राज्य था पर उनके आपसी सम्बन्ध बहुत ही मधुर थे । ब्रिटिश लोगों ने उनसे आपसी भेद-भाव पैदा किया । सरकार ने अब इन विभिन्न क्षेत्रों को स्वयत्तशासी राज्यों/संघ शासित राज्य का दर्जा दे कर एक उत्तम कार्य किया है ।

जैसाकि श्रीमती ज्योत्सना चन्दा ने कहा मीजोरम को एक राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिये । गारो और खासी पहाड़ी क्षेत्र भाषा, रीति-रिवाज तथा अन्य सभी बातों में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं अतः उनको अलग-अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिये । संसद में दीफू के लिये एक अलग स्थान निश्चित करके एक निर्णय लिया है ।

मध्य प्रदेश के झाबुआ और बस्तर जिलों के लोग अत्यन्त पिछड़े हुए हैं और वे अपने आपको उपेक्षित मानते हैं । अतः उनके सम्बन्ध में भी किया जाना चाहिये । इसी प्रकार उड़ीसा में भी बोंडा-प्रजा पहाड़िया और गौंडा जनजातियों का प्रदेश है ; जिन्हें उन्नति का पूरा अवसर दिया जाना चाहिये जिससे वे अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकें । अतः उन्हें केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाना चाहिये ।

आसाम के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी छठी अनुसूची को लागू किया जाये । भारत भर में जनजातियों को उनका उचित भाग मिलना चाहिए ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : अलगोझा एक दुःखद बात है फिर भी हम आसाम वादियों ने इन नए राज्यों के निर्माण को बिना किसी मनमुटाव के स्वीकार कर लिया है । यदि हम संयुक्त रूप से रहते तो अच्छा होता, पर यह नहीं हो सका, और जब अलग हो ही गए हैं तो हम एक अच्छे दोस्त के रूप में एक दूसरे से मिलकर रहेंगे । इस अवसर पर मैं मेघालय, मीजोराव, अरुणाचल, त्रिपुरा और मनीपुर आदि को नया दर्जा पाने पर बधाई देता हूं ।

जहां मैं इस विधेयक के लाए जाने का स्वागत करता हूं वहां मुझे इसके लाये जाने पर खेद भी हैं, क्योंकि यह एक अल्प कालीन उपाय है । इससे राजनीतिक समस्या का स्थायी

हल नहीं निकलता । आसाम को अलग-अलग भागों में बांटने की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी क्योंकि वे फूट डालों और राज्य करो वाली नीति में विश्वास करते थे । कमोबेश उसी नीति का पालन यहां अब स्वतन्त्रता के बाद भी किया जा रहा है ।

इस प्रथक्करण का अन्य कारण यह था कि यहां के लोगों की आर्थिक उन्नति नहीं हुई । और इसके लिये वे लोग यह समझते रहे कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है इस कारण हम पिछड़े रहे । एक बार शक्ति मिलने पर नई-नई मांगें होने और इस प्रकार नई-नई समस्यायें खड़ी होंगी । अत: सरकार को चाहिये कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र पर समग्र रूप में विचार करे और किसी ठोस सुझाव के साथ आगे आए ।

मैं विधेयक में सम्मिलित सांझे उच्च न्यायलय की व्यवस्था का स्वागत करता हूँ । चार से अधिक राज्यों और दो केन्द्र शासित राज्यों का एक उच्च न्यायालय होने से उस पर अत्यंत भार पड़ जायेगा । बैन्च की स्थापना से इसका हल नहीं निकल सकता ।

आसाम और मेघालय का संयुक्त संवर्ग या आयोग रखने की व्यवस्था की गई है । पर यह अलगो का आपसी तालमेल न होने के कारण ही करना पड़ा । हम नहीं चाहते कि अब भी कोई झगड़े की बात बीच में रहे । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विधान सभा की राय जान लेना आवश्यक है । मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे संयुक्त संवर्ग की व्यवस्था को हटा दें ।

आसाम और मेघालय दोनों की राजधानी शीलांग है जो अब मेघालय में है । आसाम के लिए 64 मील दूर से प्रशासन चलाना कठिन है । अत: अपनी राजधानी को वहां से हटाने के लिये आसाम को तुरन्त आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये ।

मैं आशा करता हूं कि हमारे अलग-अलग हो जाने पर भी हम एक दूसरे से कधे से कंधा मिलाकर आर्थिक, सामाजिक और नैतिक उन्नति करेंगे और हममें भावनात्मक एकता आयेगी भले ही राजनीतिक भिन्नता हो ।

Shri G. P. Yadav (Katihar) : I am happy on the reorganisation of North eastern region. But it is a matter of regret that Nagaland has not been included it this set up. It had become necessary because of the mounting threat of China. I am sorry to say that since 24-25 years these areas were ignored by the government and as a result these areas could not make much progress.

The people of these areas should be given adequate opportunities in the services and they should be encouraged to come forward for joining Government service.

Arrangement of having separate High Courts for the separate regions should be made so that the people of the concerned regions could get justice.

Government should pay attention towards the activities of rebel Nagas.

The persons who infiltrated in it Assam during military oppression in East Pakistan should now be sent back as the so called East Pakistan has now emerged as independent Bangla Desh.

श्री इराज्यु द सेकैरा (मारमागोग्रा) : हमारे देश के विकास में प्रशासनिक ढांचा एक महत्वपूर्ण भाग अदा करता है । इसी कारण यहां स्वायत्तशासी सरकारों की मांग की जाती रही है । और मुझे आशा है सरकार इस प्रकार की मांगों को पूरा करती रहेगी ।

केन्द्र शासित क्षेत्रों में प्रशासन सम्बन्धी अनेकों कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि यहां के अधिकारी विकास में सहायक होने के बजाये बाधक होते हैं। यहीं कारण है अब सब ओर से उनको राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग की जा रही है। मैं आशा करता हूं कि सरकार गोआ को राज्य के दर्जे देने की मांग पर भी विचार करेगी। और 19 दिसम्बर, 1971 गोआ की मुक्ति की वर्ष गाँठ पर उसकी इस मांग पर विचार करने की घोषणा करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है।

श्री सोम चन्द सोलंकी (गांधीनगर) : मुझे आशा है कि इस विधेयक के द्वारा मेघालय और केन्द्र शासित प्रदेश अरुणाचल और मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के लोगों को वे ही अधिकार और विशेषाधिकार मिल जायेंगे जो अन्य राज्यों के लोगों को प्राप्त हैं। इन राज्यों को आर्थिक और सामाजिक उन्नति करने के लिए पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए।

इसी प्रकार गोआ को भी जो राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है। उन्नति के लिए वे सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए, जो इन राज्यों को उपलब्ध हैं।

सरकार को इन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ये राज्य बनाने में सरकार ने बहुत विलम्ब कर दिया है। इस विधेयक से वहां की जनता की मांग पूरी हो जायेगी। अतः मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर को राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। इससे वहां की जनता की इच्छा पूरी हो जायेगी। मिजोराम और अरुणाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र बनाया जा रहा है। मुझे आशा है कि सरकार उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिये उनकी सहायता करेगी। इसके साथ मैं यह भी आशा करता हूं कि ये राज्य अपनी प्रादेशिकता तक ही सीमित न रह कर शेष देश के साथ मिलकर प्रगति करें ताकि यह देश और भी खुशहाल और लोकतन्त्रात्मक बने।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि कछार मुख्य रूप से बंगला भाषी क्षेत्र है। मेरे विचार में यदि कछार और त्रिपुरा को मिलाकर त्रिपुरा राज्य को कुछ बड़ा बना दिया जाता तो बहुत अच्छा होता।

मैं श्री इराज्युद सेकैरा की गोआ को राज्य का दर्जा दिये जाने सम्बन्धी मांग का समर्थन करता हूं। इसी प्रकार विदर्भ और तेलंगाना की जनता की इच्छाओं को पूरा करने के सम्बन्ध में भी विचार किया जाना चाहिए।

श्री एस० बी० गिरि (वारंगल) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि तेलगाना को पृथक राज्य बनाये जाने के सम्बन्ध में भी शीघ्र ही एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा जिससे वहां की जनता की भी इच्छा पूरी हो सके।

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक से सरकार का वह आश्वासन पूरा हो जायेगा जिसमें उन्होंने मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य बनाने का वचन दिया था। इस सम्बन्ध में मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह गोआ को राज्य का दर्जा देने पर भी ध्यान दें। मुझे पता चला है कि उस राज्य में इस उद्देश्य से आंदोलन चलाने पर विचार किया जा रहा है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं इस मामले

को संसद में उठाऊंगा । इसलिये मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह आगामी सत्र में गोआ को राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करें ।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : समस्त भारत में जनजाति लोग रहते हैं । उनके संबंध में समान नीति बनाई जानी चाहिए । बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में रहने वाली जनजातियों को पांचवी अनुसूची में रखा गया है जबकि आसाम में रहने वाली जनजातियों को छटी अनुसूची में शामिल किया गया है जिससे वे जिला परिषदें बना सकें जो उनके हितों का ध्यान रखने में समर्थ है । यद्यपि जनजातियों के संरक्षण के लिये कई नियम तथा उप नियम बनाये गये हैं तथापि उनका संरक्षण नहीं किया जा रहा है । अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे देश के विभिन्न भागों में रहने वाली जनजातियों के संबंध में अलग अलग नीति न बनायें बल्कि उनके संबंध में समान नीति बनाई जाये । आसाम के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों पर भी छटी अनुसूची के उपबन्ध लागू किये जाने चाहिये । चरगपुर और संथाल परगना का पृथक राज्य बनाया जा सकता है ।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : मुझे प्रसन्नता है कि प्रत्येक सदस्य ने इस विधेयक का समर्थन किया है । इससे देश के पूर्वोत्तर भाग की जनता का लक्ष्य पूरा हो गया है । हमने यह कार्यवाही उस प्रदेश के नेताओं से परामर्श करके और उनकी सहमति से की है । इस समय हम पूर्वोत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देते हैं । यह कार्यवाही करते समय हमने इस प्रदेश की विशेषताओं का ध्यान रखा है । इस समस्या का समाधान करने से पहले हमने प्रत्येक प्रदेश की कठिनाइयों पर विचार किया है और विभिन्न विचारधाराओं के लोगों के साथ बातचीत की है । पूर्वोत्तर प्रदेश का विशेष महत्व है क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्र है । इस क्षेत्र के साथ कई अन्तराष्ट्रीय सीमायें मिलती हैं । प्रतिरक्षा के विचार से भी इस प्रदेश का विशेष महत्व है । यह प्रसन्नता की बात है कि अब वे लोग अलग-थलग न रह कर शेष देश के जीवन की मुख्य धारा के साथ मिल कर रहेंगे और इसके साथ ही उनकी अपनी विशेषता भी बनी रहेगी ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बनाते समय उनके विकास के लिए भी हमें समेकित और समन्वित दृष्टिकोण अपनाना चाहिये । हमने इसी कारण कोई दबाव डाले जाने से पहले ही समस्त पूर्वोत्तर प्रदेश की समस्या का समाधान करने के लिए यह कार्यवाही की है । नए राज्य बनाने के लिये कुछ क्षेत्र पड़ौसी राज्यों के मिलाने पड़ते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । इस सम्बन्ध में आसाम के नेताओं ने बहुत उदारता दिखाई है । इस राज्य की सीमा इन सभी नये राज्यों के साथ जुड़ी हुई है । अतः इस राज्य को महत्वपूर्ण योगदान देना पड़ेगा । मैं महसूस करता हूं कि आगामी दस वर्षों में हमें समस्त पूर्वोत्तर प्रदेश के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा और हमने इसी विचार से पूर्वोत्तर परिषद बनाने का सुझाव दिया है । इस आशय का विधेयक अलग से प्रस्तुत किया जायेगा । आसाम ने उस विधेयक का पहले विरोध किया था क्योंकि उसमें राज्यों को निदेश देने की शक्ति केन्द्रीय सरकार ने अपने पास रखी थी । हमने अब उस उपबन्ध को निकाल दिया है । अब यह परिषद एक परामर्शदात्री निकाय होगी जो कुछ सिफारिशें कर सकेगी और प्रादेशिक योजनायें आदि बनायेगी । मुझे आशा है कि अब इसका विरोध नहीं किया जायेगा । इस विधेयक

के पास हो जाने पर पूर्वोत्तर प्रदेश और यहां की जनता के बीच की दूरी की भावना समाप्त हो जायेगी ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा ने पावी-लखेड़ा मामले का उल्लेख किया था । मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक अलग जिला परिषद बनाई जायेगी । जो लोग अलग जिला परिषद चाहते हैं हम उनकी समस्याओं पर विचार करके उचित कार्यवाही करेंगे । हमने मिजोराम में भूमिगत व्यक्तियों को, जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, माफ कर देने की पहले ही पेशकश की हुई है । मैं पुन: कहूंगा कि जो व्यक्ति आत्मसमर्पण करेंगे उनके साथ उदारतापूर्वक व्यवहार किया जायेगा । यदि नागालैंड, मणिपुरी, आदिवासी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाली जनता में परस्पर सहयोग अधिक होता है तो इससे इस सभा को संतोष होगा । गारो जाति के लिए एक अन्य स्थान बनाने के लिये कहा गया था । माननीय सदस्य को शायद पता नहीं है कि इसकी व्यवस्था पहले से है ।

श्री गोस्वामी द्वारा व्यक्त भावनाओं का हम आदर करते हैं । उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र के और टुकड़े क्यों किये जा रहे हैं ? हमने बताया है कि नये राज्य और संघ राज्यक्षेत्र बनाते समय विभिन्न एककों में परस्पर सम्पर्क बनाये रखने के लिये उनकी सम्मति से कुछ व्यवस्था की गई है । पूर्वोत्तर परिषद, उच्च न्यायालय, संयुक्त संवर्ग आदि का उद्देश्य यही है । जिस विचार से यह संपर्क स्थापित किए गये हैं माननीय सदस्य को उसका आदर करना चाहिये । उन्होंने भावनात्मक एकता का उल्लेख किया था । मैं उनकी बात से पूर्णतया सहमत हूं । समेकित आर्थिक नीति लागू करने के विचार से ही पूर्वोत्तर परिषद विधेयक प्रस्तुत किया जाने वाला है । उन्हें इस बात का संदेह था कि क्या दो संघ राज्य क्षेत्रों के लिये एक उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है ? इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 230 में स्थिति स्पष्ट की गई है । अत: इस विधेयक में राज्यों के लिये उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है और उसका कार्यक्षेत्र दोनों संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तृत कर दिया गया है ।

अखिल भारतीय सेवाओं का संयुक्त संवर्ग बनाने से प्रशासनिक नीतियों से एकरूपता आयेगी और समान हितों वाले मामलों में एक जैसा दृष्टिकोण अपनाया जायेगा । इस कार्यवाही से पड़ोसी राज्यों में सद्भावना बढ़ेगी । नई राजधानी बनाने के लिये आसाम को कुछ वित्तीय सहायता दी जायेगी । नई राजधानी के लिये स्थान चुन लेने के बाद हम इस बात पर विचार करेंगे कि उन्हें कितने धन की आवश्यकता है ।

इन शब्दों के साथ मैं नये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ ।

श्री एस० बी० गिरि : तेलंगाना की स्थिति क्या है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस समय तेलंगाना के मामले पर चर्चा नहीं की जा रही है । अत: इसका उत्तर आवश्यक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा

अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 1 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्यों की स्थापना का उपबन्ध करने और आसाम के विद्यमान राज्य का पुनर्गठन करके मेघालय राज्य और मीजोरम की तथा अरुणाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र बनाने का तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

खण्ड 4

Clause 4

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 और 5 प्रस्तुत करता हूँ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।**
Mr. Speaker *in the chair.*]

त्रिपुरा को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित करना अच्छा और बुरा दोनों ही सिद्ध हुआ है। अच्छा इस दृष्टि से कि वहां धनी लोगों के आ जाने के पश्चात कई नये नये स्कूल तथा कालेज खुल गये हैं, जिनसे हम लाभान्वित हुए हैं। बुरा इस दृष्टि से कि वहां मूल आदिवासी जनता का स्थान गैर आदिवासी लोग ले रहे हैं जिसके फलस्वरूप वहां के मूल आदिवासियों को अपना अस्तित्व बचाना कठिन हो गया है। इससे एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। यह कहना सर्वथा गलत है कि त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्र बिखरे हुए हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : किसी भी सब-डिविजन में आदिम जाति के लोगों की जनसंख्या 80-90 प्रतिशत नहीं है। मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2, 3 और 5 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendment No. 2, 3 and 5 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5 से 13 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 5 to 13 were added to the Bill.

खंड 14 (वर्तमान लोक सभा में स्थानों का आवंटन) संशोधन किया गया !

पंक्ति 23 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये ।

("4. Meghalaya ... 2 2)"

"(4 मेघालय ... 2 .. 2)"

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'खण्ड 14 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 14, as amended, was added to the Bill.

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 15 was added to the Bill.

खंड 16—वर्तमान सदस्यों के बारे में उपबन्ध

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ 6,

17 से 19 पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"(3) As soon as may be after the appointed day election shall be held to the House of the People to elect a representive from the Diphu parliamentary constituency as if the seat of the member elected to the House of the People from that constituency has become vacant and the provisions of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 shall, so far as may be, apply in relation to such election."

((3) नियत दिन के पश्चात यथाशक्यशीघ्र लोक सभा में डीपू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिये ऐसे निर्वाचन किया जायेगा मानो उस निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों का स्थान रिक्त हो गया हो और ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 149 के उपबंध, यथासंभव लागू होंगे ।)

(श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 16, संशोधित रूप से, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 16, as amended, was added to the Bill.

खंड 17—(मेघालय राज्य के ससदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा आसीन सदस्यों के बारे में उपबन्ध

संशोधन किया गया

Amendment Made

पृष्ठ 6,

20 से 26 पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :

"Parliamentary constituencies of the State of Meghalaya and provision as to sitting member representing the Autonomous Districts parliamentary constituency in the House of the People and the election of representative from Tura parliamentary constituency.

17. (1) There shall be two parliamentary constituencies in the State of Meghalaya to be called the Shillong parliamentary constituency and the Tura parliamentary constituency.

(2) The area falling within the Garo Hills district as it exists immediately before the appointed day shall from the Tura parliamentary constituency and the remaining area in the State of Meghalaya shall form the Shillong parliamentary constituency and the said two parliamentary constituencies shall be deemed to have been delimited accordingly.

(3) The sitting member of the House of the People representing immediately before the appointed day the Autonomous Districts parliamentary constituency shall, as from that day, be deemed to have been elected under sub-clause (a) of clause (1) of article 81 to the House of the People from the Shillong parliamentary constituency.

(4) As soon as may be after the appointed day election shall be held to the House of the People to elect a representative from the Tura parliamentary constituency as if the seat of the member elected to the House of the People from that constituency has become vacant and the provisions of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 shall, so far as may be, apply in relation to such election.".

मेघालय राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र तथा स्वायत्तशासी जिला संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले आसीन सदस्यों के बारे में और तूरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि के निर्वाचन के बारे में उपबंध।

17. (1) मेघालय राज्य में दो संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र होंगे जो शिलोंग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा तूरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कहलाएंगे।

(2) नियत दिन के ठीक पूर्व गारो पहाड़ी जिले के भीतर जो क्षेत्र पड़ते हैं उससे तूरा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र बनेगा और मेघालय राज्य के शेष क्षेत्र से शिलोंग संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के बारे में यह समझा जायेगा कि उनका तदनुसार परिसीमन किया गया है।

(3) नियत दिन के ठीक पूर्व स्वायत्तशासी जिला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के आसीन सदस्य के बारे में, उस दिन से ही यह समझा जायेगा कि वह शिलोंग संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए अनुच्छेद 81 के खण्ड (1) के उपखंड (क) के अधीन निर्वाचित किया गया है।

(4) नियत दिन के पश्चात यथाशक्यशीघ्र लोक सभा में तुरा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिये ऐसे निर्वाचन किया जायेगा मानो उस निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिये निर्वाचित सदस्य का स्थान रिक्त हो गया हो और ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 149 के उपबन्ध यावतसम्भव लागू होंगे।

(श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 17, as amended, was added to the Bill.

खंड 18

संशोधन किया गया

पृष्ठ 6,

पंक्ति 31 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"constituency, as if the seat of the member elected to the House of the People from that constituency has become vacant and the provisions of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 shall, so far as may be, apply in relation to such election."

(18. मीज़ोरम का संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र एक ही संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र होगा जो मीज़ोरम संसदीय राज्यक्षेत्र कहलाएगा और नियत दिन के पश्चात, यथाशक्यशीघ्र, उस निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिये लोक सभा का निर्वाचन ऐसे किया जायेगा मानों उस निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य का स्थान रिक्त हो गया हो और ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 149 के उपबन्ध, यावतसम्भव लागू होंगे।)

(श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 18, as amended, was added to the Bill.

खंड 19 से 29 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 19-22 were added to the Bill.

खण्ड 30

श्री दशरथ देव : मैं अपने संशोधन संख्या 4 और 6 प्रस्तुत करता हूं।

वित्तीय कठिनाइयों के कारण यदि साझी उच्च न्यायालय भी रखी जाये तो भी त्रिपुरा और मणिपुर में पृथक न्यायपीठ स्थापित की जायें।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : खण्ड 31(2) द्वारा राष्ट्रपति को पहले ही यह अधिकार दिया गया है कि वह विभिन्न स्थानों पर न्यायपीठ स्थापित कर सकें।

उपाध्यक्ष द्वारा संशोधन संख्या 4 और 6 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 4 and 6 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 30 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 30 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 31 पर श्री गोस्वामी के कुछ संशोधन हैं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 31, 32 और 33, 34, 35 से 60, 61 और 62 से 78 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 31, 32 और 33, 34, 35 से 60, 61, 62 से 78 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 31, 32 and 33, 34, 35 to 60, 61 and 62 to 78 were added to the Bill.

खण्ड 78(क) (नया)

श्री दशरथ देव : मैं अपना संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 7 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 79 से 88, पहली से सातवीं अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 79 से 88 पहली से सातवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 79 to 88 the First to the Seventh schedule were added to the Bill.

आठवीं अनुसूची

श्री दशरथ देव : मैं अपने संशोधन संख्या 8, 20, 21 और 22 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 50,—

43 से 45 पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये—

"(2) as if—

(a) in sub-paragraph (3) of paragraph 1,—

(i) after clause (g), the following clause had been inserted, namely :—

"(h) divide any autonomous region into two or more autonomous regions and define the boundaries thereof" ;

(ii) the first proviso had been omitted ;"

"(2) मानो—

(क) पैरा 1, के उप पैरा (3) में,—

(i) खण्ड (छ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित कर दिया गया हो, अर्थात :—

"(4) किसी स्वायत्तशासी प्रदेश को दो या अधिक स्वायत्तशासी प्रदेशों में विभाजित कर सकेगा और उनकी सीमाएं नियत कर सकेगा" ;

(ii) प्रथम परन्तुक लुप्त कर दिया गया हो ।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8, 20, 21 और 22 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Amendments Nos. 8, 20, 21 and 22 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 50,—

43 से 45 पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये—

"(2) as if—

(a) in sub-paragraph (3) of paragraph 1,—

(i) after clause (g), the following clause had been inserted, namely :—

"(h) divide any autonomous region into two or more autonomous regions and define the boundaries thereof" ;

(ii) The first proviso had been omitted ;"

"(2) मानो—

(क) पैरा 1, के उप पैरा (3) में,—

(i) खण्ड (छ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित कर दिया गया हो, अर्थात :—

"(4) किसी स्वायत्तशासी प्रदेश को दो या अधिक स्वायत्तशासी प्रदेशों में विभाजित कर सकेगा और उनकी सीमाएं नियत कर सकेगा" ;

(ii) प्रथम परन्तुक लुप्त कर दिया गया हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आठवीं अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

आठवीं अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

The Eighth schedule, as amended, was added, to the Bill.

नवीं और दसवीं अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

The Ninth and the Tenth schedules, clause 1, the Enecting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

श्री दशरथ देव : मुझे प्रसन्नता है कि 1952 से किये जा रहे हमारे प्रयत्न सरकार को त्रिपुरा की मांग को स्वीकार कराने में सफल हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इससे वित्तीय कठिनाईयां दूर नहीं होंगी।

सरकार को आदिम जातीय लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहिए।

अन्त में मैं गृह मन्त्री तथा सरकार से कहूंगा कि वे इस बात का ध्यान रखें कि गोआ के लोगों को भी पूर्ण राज्य मिले।

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्री दशरथ देव ने कई अन्य बातों के साथ आर्थिक कठिनाइयों की बात भी कही। जब लोग पूर्ण राज्य के लिए आन्दोलन चलाते हैं तो उन्हें पूर्ण राज्य के आर्थिक बोझ के बारे में विचार करना चाहिए न कि पूर्ण राज्य बनने के बाद। मैं यह कहना चाहता हूं कि संसद तथा केन्द्रीय सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के यथा शीघ्र विकास के बारे सचेत है।

आदिवासियों के बारे में मैं उनकी भावनाओं की सराहना करता हूं। मैं उनकी चिन्ता को समझता हूं। पांचवी अनुसूचि वहां पर लागू रहेगी। मुझे आशा है कि राज्य सरकार आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

नौसैनिक और वायुयान प्राइज विधेयक

NAVAL AND AIRCRAFT PRIZE BILL

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) **में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि प्राइज न्यायालय की स्थापना और प्रक्रिया का तथा उसके सम्बन्धित या उसके अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्राइज न्यायालय की स्थापना और प्रक्रिया का तथा उससे सम्बन्धित या उसके अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं तथा प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्राइज न्यायालय की स्थापना और प्रक्रिया का तथा उससे सम्बन्धित या उसके अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराओं तथा प्रथाओं के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए यह विधेयक आवश्यक है। इसका उद्देश्य तटस्थ देशों तथा उनके लोगों के हितों का संरक्षण करना है। प्राइज न्यायालयों, जिनका गठन करने का प्रस्ताव है, को पकड़े गये समान तथा जहाजों के बारे में न्यायिक ढंग से निर्णय देना होगा तथा सम्बन्धित पक्षों को अपना मामला पेश करने का अवसर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अपीलीय प्राधिकार नियुक्त करने का भी प्रस्ताव है ताकि उन पक्षों को जो न्यायाधिकरण के निर्णय को अपने लिए अनुचित समझते हैं, दूसरा अवसर भी दिया जा सके।

अतः विधेयक में कार्यवाही की जो हमारी प्रतिरक्षा सेना देश की रक्षा हेतु अपने कर्तव्यों का पालन करते समय करती है, न्यायिक जांच का उपबन्ध किया गया है। सशस्त्र संघर्ष के दौरान हमारी नौसेना का यह अर्थ हो गया है कि वह उस सामान को न जाने दे, जिनका शत्रु लड़ाई के लिए परोक्ष अथवा अपरोक्ष ढंग से इस्तेमाल कर सके। इससे यह आवश्यक हो गया है कि वे तटस्थ जहाजों को रोकें तथा उनकी तलाशी लें। नौसैनिक अधिकारियों को यह आदेश दिये गये हैं कि वे विवेक के साथ अपने अधिकारों का प्रयोग करें और उसमें कठोरता न बरतें। मैं आशा करता हूँ कि सब तटस्थ देश, जिनके साथ हमारे समुद्री सम्बन्ध हैं, इस विधेयक की जो अंतर्राष्ट्रीय परम्पराओं तथा प्रक्रियाओं के अनुरूप है, सराहना करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि प्राइज न्यायालय की स्थापना और प्रक्रिया की तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ, जो पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमण के कारण हम जिस सशस्त्र संघर्ष से गुजर रहे हैं, उसे देखते हुए आवश्यक हो गया है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत सशस्त्र संघर्ष से गुजर रहे राष्ट्रों में यह एक लम्बी अवधि से चली आ रही प्रथा है कि युद्ध छिड़ जाने पर युद्ध के दौरान कब्जे में ली गई शत्रु की सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार अस्थाई तथा प्रक्रियात्मक कानून बनाते हैं। इस बात को देखते हुए हमारे देश के लिए ऐसा कानून बनाना जरूरी हो गया है।

विधेयक के अधीन गठित किए जाने वाले प्राइज न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा, जो न केवल भारत का नागरिक ही हो अपितु जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जितनी अर्हतायें रखता हो। अतः ऐसे न्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अपील करने का उपबन्ध करना सिद्धान्त रूप से आपत्तिजनक बात है। अन्ततः जब केंद्रीय सरकार न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनेगी, तो उसका निर्णय तो उसकी नीति अथवा राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रभावित होगा। अतः ऐसा करने के बजाय अपील सुनने के लिए एक ऐसा प्राधिकार बनाया जाना चाहिए, जिसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो। खंड 11 के अनुसार केन्द्रीय सरकार को सभी स्टोरों या किसी एक स्टोर को खरीदने के

लिये अधिकृत किया गया है। इन स्टोरों या सम्पत्तियों को खरीदने के लिये हमारी सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता नहीं है। खरीद करने के लिये हिसाब किताब का क्या आधार होगा। इसके बारे में इस खंड में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विधेयक के उपबंध के अनुसार इन वस्तुओं को समाप्त क्यों नहीं किया जाता जैसा कि अन्य मामलों में किया जाता है। आशा है कि सरकार इन दोनों सुझावों पर विचार करेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस विधेयक के बारे में मैं मंत्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक के अन्तर्गत जो शक्तियां दी गयी हैं क्या उनका सम्बन्ध उन वस्तुओं से है जो उने देशों के जो कि हम से युद्धरत हैं अथवा हमारे शत्रु हैं, जलपोतों या वायुयानों से बरामद की जाती है या इन शक्तियों का सम्बन्ध उन वस्तुओं से है जो कि किसी तटस्थ देश द्वारा अपने ही जहाजों से ले जा रही हो किन्तु उस देश में पहुँचती हो जो कि हमसे युद्धरत हो।

मुझे खुशी है कि मत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। मैं उनका ध्यान तीन चार दिन पहले हुई एक घटना की ओर दिलाना चाहता हूँ। "अब्बे करक" नामक एक डच मालवाहक जहाज को, जो पाकिस्तान के लिये माल ले जा रहा था, मद्रास बन्दरगाह पर रोक लिया गया है। मद्रास बन्दरगाह पर इसे रोक लिये जाने के बाद यह पता चला कि वह पूर्वी पाकिस्तान के लिये विभिन्न प्रकार की सामग्री ले जा रहा था जिसमें से कुछ सामग्री निषिद्ध थी। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : निषिद्ध वस्तुओं की एक सूचि है। इसके अतिरिक्त एक ऐसी अधिसूचना जारी हुई है जिसके अनुसार पाकिस्तान से हर प्रकार की आयात या निर्यात पर पाबन्दी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मर्केन्टाईल मैरिन डिपार्टमैंट के अधिकारियों को इस बात की पूरी जानकारी दी जानी चाहिये। क्या शत्रु देश को तटस्थ देश के जहाज में जाने वाली वस्तुओं को हम जब्त नहीं कर सकते ?

श्री राज बहादुर : ऐसा करने से पहले हमें माल के मालिक का पता लेना पड़ता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि कागजातों के अनुसार माल का स्वामी कोई पाकिस्तानी है तो क्या निषिद्ध वस्तुयें पाकिस्तान को जा सकती हैं ?

श्री राजबहादुर : यदि पाकिस्तानी स्वामित्व का हमें संदेह हो तो हम मालूम करने का प्रयत्न करते हैं। इस बारे में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना पड़ता है।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : मैं चाहता हूं कि आप स्थिति को समझें। व्यापारी बेड़ा विभाग के अधिकारियों को उचित आदेश दिये जाने चाहियें। इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये कि कोई ऐसा रास्ता न रहे कि जहाजों द्वारा पाकिस्तान को माल न जा सके।

***श्री जे० एम० गौडर (नीलगिरि)** : 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई

*तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*English Translation of the Speech delivered in Tamil.

थी। यह समझ में नहीं आता कि उस समय उस प्रकार का विधान क्यों नहीं बनाया गया था। क्या उस समय इस की आवश्यकता नहीं समझी गई थी।

इस बात की भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये कि अन्य तटस्थ देशों के जहाज बिना निरीक्षण के पाकिस्तान को माल ले जा सकें। सरकार को इस बारे में अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन प्रथाओं और प्रक्रियाओं की चिंता नहीं करनी चाहिये। युद्ध की परिस्थितियों में इस बात की बहुत अधिक आवश्यकता है।

1965 में पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई में हमने पाकिस्तान के कुछ जहाज पकड़े थे। सदन को यह बताया जाना चाहिए कि उस समय इस प्रकार का विधान न होने पर हमने शत्रु की परिसम्पत्तियों का निपटान किस प्रकार से किया था। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि इस विधान के पारित हो जाने के पश्चात पाकिस्तान के साथ इस युद्ध के दोरान जीती गई परिसम्पत्तियों को नहीं लौटाया जाना चाहिये। यह गलती एक बार हम पहले कर चुके हैं अतः यह गलती पुनः नहीं की जानी चाहिए।

सरकार ने इस विधेयक के लिए बहुत कम समय नियत किया है जो उचित नहीं। यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विधेयक है अतः इसके लिए अधिक समय नियत किया जाना चाहिए था।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं सातवें बेड़े के बगाल की खाड़ी में प्रवेश के समाचार की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। सरकार को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए।

Shri R V. Bade (Khangaon) : I support th!s Bill but I would like to point out that the Government has brough this measure very hurriedly. It is also not clear why the Government did not enacted such a measure during 1965 conflict. During the 1965 conflict Indian property worth Rs. 109 crores was seized by Pakistan Government. The House should be informed as to what happened to that property. It should also be mentioned whether Government propose to name more courts as Prize Courts ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हालांकि इस विधेयक में अपीलीय प्राधिकरण के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है तो भी साफ है कि यद्यपि केन्द्रीय सरकार अपीलीय प्राधिकरण है तथापि अपीलीय प्राधिकरण के रूप में न्यायाधिकरण के जज से ऊंचे स्तर के किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। विधेयक में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकने योग्य व्यक्ति को ट्रिब्यूनल के रूप में नियुक्त किया जायेगा। अतः स्पष्ट है कि अपीलीय प्राधिकरण इनसे ऊंचे स्तर का होगा।

खंड 11 की बात करते हुए पूछा गया है कि जो चीज हमारे अधिकार में आ गई उसे खरीदने अथवा उसके लिए अदायगी करने की क्या आवश्यकता है। इस बारे में स्थिति यह है कि कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहां स्थिति स्पष्ट न हो अतः उस प्रकार के मामलों में अपने देश के हित में हम माल को ले लें और उसके लिए अदायगी कर सकें।

यह भी पूछा गया है कि इस बात का निर्णय करने का क्या आधार है कि कौन सा सामान निषिद्ध श्रेणी में आता है, किस का सामान जब्त किया जाये और किस प्रकार। इस बारे में मुझे यह कहना है कि कोई भी सामान जो हमारे विरुद्ध युद्ध में सहायक हो सकता हो इस श्रेणी में आता है। भारतीय बन्दरगाहों पर जो माल जब्त किया जायेगा वह इस विधेयक

के अन्तर्गत नहीं आयेगा । इसके अन्तर्गत केवल वही माल आएगा जो तटस्थ जहाजरानी कम्पनियों के जहाजों में हमारे साथ युद्धरत देश को जाता हुआ खुले समुद्र में अथवा युद्धरत देशों के सामुद्रिक क्षेत्र में अपने अधिकार में लिया जाएगा ।

ऐसा माल व ऐसे जहाज जिन का स्वामी युद्धरत देश हो, वह भी निषिद्ध की श्रेणी में नहीं आते। वह सीधे राष्ट्र की सम्पत्ति बन जाते हैं अतः ऐसे मामले इन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं । इस विधेयक का सम्बन्ध स्पष्टतया तटस्थ जहाजों और तटस्थ जहाजरानी से है ।

1965 में इस प्रकार का विधेयक न बनाने का कारण यह है कि उस समय भारत ने खुले समुद्र में निषिद्ध माल पकड़ा नहीं था । पाकिस्तान सरकार ने कुछ हमारे जहाज पकड़े थे और उस देश के जहाज कुछ हमने अपने बन्दरगाहों पर पकड़े थे । बाद में इन जहाजों की अदला-बदली कर ली गई थी ।

कुछ बहुत पुराने अंग्रेजी अधिनियम थे जो अब तक लागू थे। आज की परिस्थितियों में नए अधिनियम की आवश्यकता महसूस करते हुए यह विधेयक लाया जा रहा है ।

मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इसका प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जायगा। यदि कोई माल ढंग से पकड़ा गया है तो उसे वापस भी कर दिया जायेगा । असन्तुष्ट दल को पूर्ण न्याय प्राप्त हो इसी दृष्टि से अपीलीय प्राधिकरण की व्यवस्था की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्राइज न्यायालय की स्थापना और प्रक्रिया का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि किसी संशोधन की सूचना नहीं है अतः मैं सभी खण्डों को इकट्ठे ही मतदान के लिये रखूंगा । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 20 खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 20, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 to 20, Clause 1, the Enacting Formula and the title of were added to the Bill

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अमरीकी सातवें बेड़े के बारे में

Re. SEVENTH FLEET OF U.S.A.

उपाध्यक्ष महोदय : अमरीका के सातवें बेड़े के बंगाल की खाड़ी में प्रवेश के सम्बन्ध में सदस्य बहुत चिंतित हैं। प्रो० मधु दंडवते से मुझे इस बारे में एक पर्ची प्राप्त हुई है। वह एक दो मिनट में अपनी बात कह सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अभी-अभी आकाशवाणी द्वारा यह सूचना दी गई है कि अमरीका का सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में प्रविष्ट हो चुका है। सरकार को इस बारे में दो तीन बातों का स्पष्टीकरण करना चाहिये। भारत सरकार ने सरकारी पत्र में क्या लिखा है? हमारे प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बारे में क्या रुख अपनाया है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई सदस्य देश इस प्रकार की एक पक्षीय कार्यवाही कर सकता है जिससे आज के सीमित युद्ध के विश्व युद्ध का रूप ले लेने की आशंका हो?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : ऐसा समाचार है कि बेड़ा बंगाल की खाड़ी तक पहुंच चुका है। जहां तक इस बेड़े की बात है हम सातवें बेडे से नहीं डरते। सरकार को डर दूर करना चाहिये व वक्तव्य देना चाहिये। प्रधान मंत्री ने अमरीकी हस्तक्षेप के बारे में सदन से बाहर वक्तव्य दिया है यह उचित नहीं। केवल सदन में ही वक्तव्य दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों के यह विचार और भावनाएं सरकार तक पहुँचाई जानी चाहियें।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक

INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मुइनुल हक चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे कल जारी रख सकते हैं। सभा कल मध्याह्न पूर्व 10 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 16 दिसम्बर, 1971/25 अग्रहायण 1893 (शक) के दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Ten of the Clock on Thursday, December 16, 1971/Agrahayana 25, 1893 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.